राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग

<u>आदेशिका</u>

दिनांक 17-10-2019 परिवाद संख्या 2017/11/2490

समक्ष : एकलपीठ

माननीय अध्यक्ष : न्यायमूर्ति श्री प्रकाश टाटिया

पत्रावली पर विचार कर आदेश पारित कर आज दिनांक 16 अक्टूबर, 2019 को सुनाया गया। इस प्रकरण में महत्वपूर्ण बिन्दु निम्न प्रकार से हैं:-

1. क्या मृतक के मानव अधिकार होते हैं।

2. मृतक के परिवार का मृतक के शरीर पर क्या अधिकार है।

3. मृतक के प्रति राज्य का क्या दायित्व है।

उपर्युक्त बिन्दुओं के बारे में राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग को विचार करने हेतु किन कारणों से आवश्यकता हुई, इसके लिए आवश्यक तथ्य, आदेश दिनांक 12 जुलाई, 2017 में अंकित हैं तथा आदेश दिनांक 12 जुलाई, 2017 चूंकि विस्तृत आदेश है। अत: इस आदेश के आवश्यक तथ्यों को अंतिम आदेश का भाग बनाया जाना उचित समझा

जाता है, ताकि तथ्यों का पूरा उल्लेख अंतिम आदेश में समावेशित किया जा सके व इससे आदेश को समझने में सुविधा रहेगी। इस परिवाद संख्या 17/11/2490 में पारित आदेश दिनांक 12 जुलाई, 2017 में अंकित तथ्य निम्न प्रकार से है :-

"एक व्यक्ति श्री आनन्दपाल सिंह, जिस पर 34 आपराधिक प्रकरण दर्ज थे तथा जिसकी गिरफ्तारी पर राज्य सरकार की तरफ से 01.00 लाख रूपये का ईनाम घोषित किया गया था, जिसे बाद में 05.00 लाख कर दिया गया। लगभग 21 माह बाद एक पुलिस कार्यवाही में दिनांक 24.06.2017 को श्री आनन्दपाल सिंह मारा गया। चूंकि इस प्रकरण में श्री आनन्दपाल सिंह के पूर्व के अपराध करने के आरोप तथा पुलिस कार्यवाही (Encounter) में मारे जाने का बिन्दु विचारणीय नहीं है, अतः उपर्युक्त तथ्य एक प्रकार से इस आदेश में सिर्फ श्री आनन्दपाल सिंह की मृत्यु के पूर्व की घटना के रूप में ही अंकित किये गये है। उपर्युक्त तथ्य न तो मृतक आरोपी की दोषसिद्धि और न ही Encounter के सम्बन्ध में किसी कार्यवाही को प्रभावित करने के लिए लिखे गये हैं। श्री आनंदपाल सिंह की दिनांक 24.06.2017 को मृत्यु हो जाने के बावजूद व शव दिनांक 01.07.2017 से परिवार के सदस्यों के पास होने के बावजूद दिनांक 12.07.2017 तक अंतिम संस्कार नहीं होने के कारण से आयोग द्वारा इसे अतिआवश्यक प्रकरण के रूप में लिया जाकर यह आदेश पारित करना आवश्यक हुआ है।

इस प्रकरण में महत्वपूर्ण बिन्दु निम्न प्रकार से हैं :-

1. क्या मृतक के मानव अधिकार होते हैं।
2. मृतक के परिवार का मृतक के शरीर पर क्या अधिकार है।

3. मृतक के प्रति राज्य का क्या दायित्व है।

उपर्युक्त बिन्दुओं के बारे में राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग को विचार करने हेतु किन कारणों से आवश्यकता हुई, इसके लिए आवश्यक तथ्य निम्न प्रकार से हैः–

जैसा कि ऊपर अंकित किया गया है कि एक व्यक्ति श्री आनन्दपाल सिंह पुलिस कार्यवाही (Encounter) में दिनांक 24 जून, 2017 गांव मालासर, पुलिस थाना रतनगढ, जिला चूरू में मारा गया। इस सम्बन्ध में मुकद्मा संख्या 190 दिनांक 25.06.2017, अन्तर्गत धारा 307, 332, 353, 147, 148, 149, 212, 216 भा.दं.सं. व 3/25, 7/25 व 7/27 आर्म्स एक्ट पुलिस थाना रतनगढ, जिला चूरू में दर्ज किया गया। इस कार्यवाही के पश्चात की घटनाएं कैसी थी, जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर द्वारा अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 06 जुलाई, 2017 में अंकित की है। वे इस प्रकार से हैं :–

"1 आनन्दपाल सिंह के एन्काउन्टर के बाद उसकी मृत्यु की सूचना थानाधिकारी रतनगढ़ की सूचना के मुताबिक आनन्दपालसिंह की मां को रात्रि में ही दी जाकर रसीद सूचना प्राप्त की गई।

2 दिनांक 25.06.2017 को मृतक आनन्दपाल सिंह का शव पैतृक गांव सांवराद आने की सूचना पर एकत्र हुए आनन्दपाल सिंह समर्थकों द्वारा मेगा हाईवे को सांवराद बस स्टैण्ड पर बाधित न करने की चेतावनी देने पर समर्थकों ने थानाधिकारी व पुलिस जाब्ता पर पथराव कर हमला कर दिया, जिसमें थानाधिकारी जसवन्तगढ़ गंभीर रूप से घायल हुए (सिर में छः टांके आए) व पुलिस जीप को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिस पर पुलिस थाना जसवन्तगढत्र पर मुकदमा न.108/2017 दिनांक 25.06.

2017 धारा 147,148,149,307,332,353 भा.द.सं. व 3 पी.डी.पी.पी. एक्ट व 8 बी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम दर्ज किया गया, जो जैर अनुसंधान है।

3 मृतक आनन्दपाल सिंह का पोस्टमार्टम परिजनों श्री बलबीर सिंह पुत्र डुंगरसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी हनुमान धोरा पानी की टंकी के पास सुजानगढ़ जिला चुरू (सगा साला) व श्री अमरसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी बांसा, पुलिस थाना मौलासर जिला नागौर (मृतक का सगा मामा) व की सहमति से मेडिकल बोर्ड से करवाया जाकर लाश सुपुर्द कर दी गई, परन्तु श्री नारायणदान आर.पी.एस. वृताधिकारी वृत रतनगढ़, जिला चूरू तत्समय अनुसंधान अधिकारी मु.न. 190/2017 पुलिस थाना रतनगढ़ के पत्रानुसार उक्त दोनों परिजन बिना कोई सूचना के लाश को राजकीय अस्पताल रतनगढ़ में छोड़कर आ गए। लाश को मुर्दाघर रतनगढ़ में रखवाया गया।

4 श्री नारायणदान आर.पी.एस. वृताधिकारी वृत रतनगढ़, जिला चूरू तत्समय अनुसंधान अधिकारी मु.नं. 190/2017 पुलिस थाना रतनगढ़ ने दिनांक 27.06.2017 को मृतक आनन्दपाल सिंह का शव दाह संस्कार हेतु प्राप्त करने के लिए दो नोटिस क्रमशः श्रीमती निर्मल कंवर पत्नि स्व. हुकमसिंह व श्रीमती राज कंवर पत्नि आनन्दपाल सिंह जातियान रावणा राजपूत, निवासीगण सांवराद पुलिस थाना जसवन्तगढ़ जिला नागौर के नाम इस आशय के जरिये ई–मेल पुलिस थाना जसवन्तगढ़ पर तामिल व अन्तिम संस्कार हेतु शव प्राप्त करने के संबंध में भिजवाये कि मृतक आनन्दपाल सिंह पुत्र स्व. हुकमसिंह जाति रावणा राजपूत, निवासीगण सांवराद पुलिस थाना जसवन्तगढ़ जिला नागौर का शव राजकीय अस्पताल रतनगढ़ जिला चूरू के

मुर्दाघर में रखवाया गया है। मृतक आनन्दपाल सिंह के शव का दिनांक 25.06.2017 को श्री बलवीर सिंह पुत्र डूंगरसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी हनुमान धोरा पानी की टंकी के पास सुजानगढ़ जिला चूरू (सगा साला) व श्री अमरसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी बांसा, पुलिस थाना मौलासर जिला नागौर (मृतक का सगा मामा) की उपस्थिति में पंचनामा तैयार कर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाकर शव अन्तिम संस्कार हेतु उसी दिन जरिये फर्द सुपुदर्गी के उक्त श्री अमर सिंह एवं श्री बलवीर सिंह को सुपुर्द किया गया था, जो उक्त शव को राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में लावारिश स्थिति में छोड़कर वहां से चले गये एवं आज दिनांक 27.06.2017 तक उक्त शव को प्राप्त नहीं किया गया है। अभी भी मृतक का शव राजकीय चिकित्सालय रतनगढ़ की मोर्चरी में डीप फ्रीज में रखा हुआ है। शव का फ्रीजर में रखने के समस्त उपायों के बावजूद भी समय बितने के साथ–साथ शव का क्षरण (Putrefaction) हो रहा है। ऐसी स्थिति में हिन्दू धार्मिक संस्कारों के अनुरूप शव का अन्तिम संस्कार नहीं किया जाना एक तरह से शव का अपमान है। अतः आपको जरिये नोटिस के सूचित किया जाता है कि आप मृतक की मां/पत्नि है। आप अपने पुत्र/पति मृतक आनन्दपाल सिंह का शव राजकीय चिकित्सालय रतनगढ़ की मोर्चरी से कल दिनांक 28.06.2017 को समय 05.00 पी.एम. से पूर्व आवश्यक रूप से प्राप्त किया जाना सूनिश्चित करे, अन्यथा राजस्थान पुलिस नियम 1965 के नियम 6.36 मृत्योपरान्त परीक्षण (पोस्टमार्टम) और पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के उप नियम 6 के अन्तर्गत मृतक का दाह संस्कार पुलिस द्वारा विधि सम्मत तरीके से कर दिया जायेगा। जिसके लिये आप स्वयं

जिम्मेदार होगें।

5 पत्र की प्रतिलिपि में लिखा कि थानाधिकारी पुलिस थाना जसवन्तगढ़ जिला नगौर को दो प्रतियों में प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की एक प्रति की तामिल संबंधित से करवाकर पालना रिपोर्ट पेश करें। जिस पर तामिल हेतु श्री रघुराजसिंह स.उ.नि. मय महिला कानि. मीनाक्षी 804 व बीट कानि. राकेश कुमार 1804 उक्त दोनों श्रीमती निर्मल कंवर व राजकंवर के निवास स्थान पर पहुंचे, दोनों मौजूद मिली, परन्तु नोटिस तामिल करने से इन्कार किया। जिस पर नोटिस उनके गृह निवास स्थान गांव सांवराद पर चस्पा कर विडियोग्राफी करवाई गई। तामिली रिपोर्ट श्री नारायणदान आर.पी.एस. वृताधिकारी वृत रतनगढ़ जिला चूरू तत्समय अनुसंधान अधिकारी मु.नं. 190/2017 पुलिस थाना रतनगढ़ को भिजवाई गई।

6 दिनांक 29.06.2017 को श्रीमती निर्मला कंवर पत्नि स्व. श्री हुकमसिंह जाति रावणा राजपूत, निवासीगण सांवराद पुलिस थाना जसवन्तगढ़ जिला नागौर के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 27.06.2017 के नोटिस के जवाब में दिये गये प्रार्थना पत्र पर श्री नारायणदान आर.पी.एस. वृताधिकारी वृत रतनगढ़ जिला चूरू तत्समय अनुसंधान अधिकारी मु.नं. 190/2017 पुलिस थाना रतनगढ़ ने पुनः एक नोटिस श्रीमती निर्मल कंवर व श्रीमती राजकंवर के नाम से पत्र क्रमांक 1357-58 दिनांक 29.06.2017 इस आशय का जारी किया कि आप श्रीमती निर्मल कंवर पत्नि स्व. श्री हुकमसिंह व श्रीमती राज कंवर पत्नि आनन्दपाल सिंह आप मृतक आनन्दपाल सिंह की मां/पत्नि है। आपके परिजनों ने शव लेने से इन्कार किया, जिस पर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, रतनगढ़ ने अपने पत्र क्रमांक 2376-79 दिनांक 27.06.2017 के द्वारा अवगत कराया है कि

सरकारी अस्पताल रतनगढ़ के मोर्चरी कक्ष में रखे मृतक आनन्दपाल सिंह के शव की वजह से वातावरण दूषित होने एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की पूर्ण संभावना है। अतः शीघ्र ही शव का निष्पादन करावें, इसलिए पुलिस को राजस्थान पुलिस अधिनियम 1965 के नियम 6.36 (6) के अनुसार मृत्योपरान्त चिकित्सा अधिकारी इस बात की सूचना दे कि उसमें पोस्टमार्टम परीक्षण कर लिया है, और पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही कर ली गई है, तो शव को उसके रिश्तेदार व मित्र को सौंपेगे अगर शव लेने से मना करते है, तो पुलिस उक्त शव का नियमानुसार शव दाह संस्कार करेगी। अतः आपके प्रार्थना पत्र में लगाए आरोप आधारहीन है। अतः आप सरकारी अस्पताल के मोर्चरी कक्ष में रखे मृतक आनन्दपाल के शव को ले जाए, और शव का दाह संस्कार करे। अतः मृतक आनन्दपाल के शव को नहीं लेगें तो पूर्व में दिनांक 27.06.2017 को आपको एवं आपके रिश्तेदारों के दिये गये नोटिस की पालना में पुलिस नियमानुसार दाह संस्कार करेगी। पत्र की प्रतिलिपि में लिखा कि थानाधिकारी पुलिस थाना जसवन्तगढ़ जिला नागौर को दो प्रतियों में प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की एक प्रति संबंधित से तामिल करवाकर पालना रिपोर्ट पेश करें। जिस पर तामिल हेतु श्री अशोक बिसु उ.नि. मय महिला कानि. मीनाक्षी 804 व बीट कानि. राकेश कुमार 1804 उक्त दोनों श्रीमती निर्मला कंवर व राजकंवर के निवास स्थान पर पहुंचे, दोनों मौजूद मिली, परन्तु नोटिस तामिल करने से इन्कार किया। जिस पर नोटिस उनके गृह निवास स्थान गांव सांवराद पर चस्पा कर विडियोग्राफी करवाई गई। तामिली रिपोर्ट श्री नारायणदान आर.पी.एस. वृताधिकारी वृत रतनगढ़ तत्समय अनुसंधान अधिकारी मु.नं. 190/2017

पुलिस थाना रतनगढ़ को भिजवाई गई ।

7 आनन्दपाल सिंह की मुठभेड में मृत्यपरान्त शव के अन्तिम संस्कार एवं अन्य धार्मिक क्रियाकर्म को लेकर कानून व्यवस्था विपरित रूप से प्रभावित हो सकने की आशंका के मध्यनजर श्रीमान् उपखण्ड मजिस्ट्रेट लाडनूं जिला नागौर के आदेश क्रमांक 323 दिनांक 29.06.2017 द्वारा धारा 144 द.प्र.सं. 1973 के तहत प्रकृत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपखण्ड क्षेत्र लाडनूं जिला नागौर के क्षैत्राधिकार में दिनांक 15.07.2017 तक निशेधाज्ञा लागू कर दी गई।

8 तत्पश्चात् माननीय न्यायालय ए.डी.जे. रतनगढ़ जिला चूरू के समक्ष मृतक आनन्दपाल सिंह की मां श्रीमती निर्मल कंवर के प्रार्थना पत्र पर माननीय न्यायालय के आदेशानुसार मृतक आनन्दपाल सिंह के शव का जिला अस्पताल चूरू में दिनांक 30.06.2017 को पुनः पोस्टमार्टम किया गया। आनन्दपाल सिंह का शव बाद पुनः पोस्टमार्टम वास्ते अन्तिम संस्कार हेतु परिजनों के द्वारा प्राप्त किया जाकर अन्तिम संस्कार किया जाना था, लेकिन परिजनों ने शव प्राप्त नहीं किया। जिस पर बदले गये अनुसंधान गये श्री सुरेन्द्रसिंह आर.पी.एस. अति. पुलिस अधीक्षक, पुलिस परामर्श एवं सहायता केन्द्र जिला बीकानेर, कैम्प चूरू के द्वारा एक नोटिस मृतक आनन्दपाल सिंह की मां श्रीमती निर्मल कंवर को इस आशय का दिया कि आपके पुत्र मृतक आनन्दपाल सिंह पुत्र स्व. हुकमसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी सांवराद पुलिस थाना जसवन्तगढ़ का पोस्टमार्टम माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश रतनगढ़ के आदेश क्रमांक 114 दिनांक 30.06.2017 के द्वार पुनः राजकीय डेडराज भरतीया अस्पताल चूरू से करवाने के निर्देश फरमाये गये

है, माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में मृतक आनन्दपाल सिंह के शव का पुनः मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम करवाये जाने की सूचना आपके वकील श्री कानसिंह राठौड व श्री गोवर्धनसिंह को आज दिनांक 30.06.2017 को देकर अवगत करवाया गया था। पोस्टमार्टम आज दिनांक 30.06.2017 का समय 06.00 पी.एम. का पूर्ण हो गया है व डॉक्टरों के पोस्टमार्टम बोर्ड ने अपनी राय में अंकित किया है कि'The Body is in intermediate stage of decomposition, foul smell present peeling of skin present. Infection can spread to environment due to decomposition. Advice Early disposal of body.' अतः आप पोस्टमार्टम समाप्ति समय 06.00 पी.एम. से आगामी 12 घण्टे तक आप या आपके किसी प्रतिनिधि/परिजन द्वारा मृतक आनन्दपाल सिंह का शव अन्तिम संस्कार हेतु प्राप्त करें, समयावधि में शव अन्तिम संस्कार हेतु आप या आपके किसी प्रतिनिधि/परिजन द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है तो राजस्थान पुलिस नियम 1965 के नियम 6.36 मृत्योपरान्त परीक्षण (पोस्टमार्टम) और पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के उप नियम 6 के अन्तर्गत मृतक का दाह संस्कार पुलिस द्वारा विधि सम्मत तरीके से करवा दिया जायेगा। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगें। अतः आप या आपके प्रतिनिधि/परिजन मृतक आनन्दपाल सिंह का शव अन्तिम संस्कार हेतु प्राप्त करने हेतु राजकीय डेडराज भरतीया अस्पताल चूरू में उपस्थित आवे।

9 दिनांक 01.07.2017 को अनुसंधान अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह, आर.पी.एस. अति. पुलिस अधीक्षक, परामर्श एवं सहायता केन्द्र, जिला बीकानेर, कैम्प चूरू मृतक आनन्दपाल

सिंह का शव लेकर सांवराद पहुंचे। मृतक आनन्दपाल सिंह का शव आनन्दपाल के मामा अमरसिंह व पुत्री यज्ञजीतसिंह उर्फ योगिता को सुपुर्द कर रसीद सुपुदर्गी प्राप्त की।

10 अनुसंधान अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह आर.पी.एस. अति. पुलिस अधीक्षक, पुलिस परामर्श एवं सहायता केन्द्र जिला बीकानेर, कैम्प चूरू द्वारा मृतक आनन्दपाल सिंह का शव सुपुर्द करने के वक्त परिजनों ने शव के अन्तिम संस्कार करने की बात कही थी, लेकिन आज दिनांक 06.07.2017 को मृत्यु के बारहवें दिन तक शव का अन्तिम संस्कार नहीं किया है।

11 मृत शव का अन्तिम संस्कार नहीं कर परिजन सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हॉट्सएप पर लोगों को सांवराद पहुंचकर आनन्दपाल के एन्काउन्टर के विरोध में समर्थन करने के लिए आह्वान करने लगे। आनन्दपाल की मां व बेटी योगिता ने प्रेस व मीडिया के माध्यम से अपनी मांगे नहीं माने जाने तक शव का अन्तिम संस्कार नहीं करने की बात कही। फैलती अफवाहों व कानून एवं व्यवस्था की दृष्टि के मध्य नजर जिला नागौर में दिनांक 01.07.2017 से इन्टरनेट सेवा बन्द कर दी गई जो कल दिनांक 05.07.2017 को बहाल की गई है।

12 दिनांक 03.07.2017 को राजपूत समाज के विभिन्न संगठनों व उनके पदाधिकारियों द्वारा सांवराद में सभा की गई। सभा में ग्यारह सदस्य प्रतिनिधि मण्डल ने डीडवाना में श्रीमान् महानिरीक्षक पुलिस, अजमेर रेंज, अजमेर, जिला पुलिस अधीक्षक नागौर, जिला कलक्टर नागौर के साथ वार्ता की। वार्ता में मृतक आनन्दपाल सिंह के शव के अन्तिम संस्कार के लिए निम्न बिन्दुओं पर सहमति बनी।

अ मृतक आनन्दपाल सिंह के जेल में न्यायिक हिरासत में

चल रहे मनजीतसिंह जिसके खिलाफ कुल 19 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है, के पैरोल या जमानत की कार्यवाही 48 घण्टों में की जाकर शव का अन्तिम संस्कार किया जायेगा। प्राप्त आसूचना के मुताबिक बिन्दु अनुसार माननीय न्यायालय अपर एवं सैशन न्यायाधीश डीडवाना, परबतसर व बीकानेर में जमानत/पैरोल प्रार्थना पत्र लगाई गई, परन्तु डीडवाना व परबतसर न्यायालय से इनके अधिवक्ता ने न्यायालय द्वारा अन्त्योष्टि का समय व दिनांक पूछने पर नोट प्रेस(not pressed) में विड्रॉ कर ली, बीकानेर न्यायालय से खारिज हो गई, सुजानगढ़ न्यायालय में पैरोल व जमानत संबंधित प्रार्थना पत्र विचाराधीन है।

ब मृतक आनन्दपाल सिंह के भाई मनजीतसिंह के 48 घण्टों में पैरोल/जमानत नहीं होने की स्थिति में प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य पुनः एकत्रित होकर मृतक के भाव के अन्तिम संस्कार के संबंध में परिजनों को समझाईश कर शव का अन्तिम संस्कार करवायेगें।

13 मृतक का शव मृतक के घर पर डीप फ्रिजर में रखा हुआ है। असामाजिक तत्व पर निगरानी तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए ग्राम सांवराद में पुलिस जाब्ता तैनात कर निगरानी जारी है।"

उपर्युक्त कारणों से स्पष्ट है कि मृतक श्री आनन्दपाल सिंह के शव का दाह संस्कार दिनांक 24 जून, 2017 से 18 दिन पश्चात भी नहीं हो रहा है। पूर्व में शव पुलिस तथा शल्य क्रिया/ पोस्टमार्टम इत्यादि आवश्यक कानूनी कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अस्पताल व मेडिकल बोर्ड के पास में रखा गया। अन्त में शव को मुर्दाघर में रखा गया। एक बार शव परिजनों द्वारा, श्री बलवीर सिंह मृतक के सगे साला व श्री अमरसिंह मृतक के सगे मामा को सुपुर्द कर दिया गया, परन्तु उपर्युक्त शव को, तथ्यात्मक रिपोर्ट के

अनुसार, बिना कोई सूचना राजकीय अस्पताल, रतनगढ में छोड दिया गया। यह शव रतनगढ मुर्दाघर में रखा गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार दिनांक 27.06.2017 को मृतक की पत्नी श्रीमती राजकंवर व माताजी श्रीमती निर्मल कंवर को नोटिस भी दिये गये कि दाह संस्कार हेतु शव प्राप्त कर लें। इन नोटिसेज् की तामील कार्यवाही का वर्णन भी ऊपर अंकित है। शव का पोस्टमार्टम करवाया गया तथा मृतक के परिवार को यह भी सूचित किया गया कि शव मार्चरी से दिनांक 28 जून, 2017 को सायं 05.00 बजे से पूर्व आवश्यक रूप से प्राप्त करना सुनिश्चित करें, अन्यथा राजस्थान पुलिस नियम, 1965 के नियम 6.36 पोस्टमार्टम और पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के उपनियम 6 के अन्तर्गत मृतक का दाह संस्कार पुलिस द्वारा विधि सम्मत तरीके से कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इस नोटिस का जवाब मृतक श्री आनन्दपाल सिंह की माताजी श्रीमती निर्मल कंवर द्वारा अपने अधिवक्ता के मार्फत भिजवाया और उसके पश्चात सम्बन्धित पुलिस अधिकारी द्वारा पुनः एक नोटिस श्रीमती निर्मल कंवर व श्रीमती राजकंवर को पत्र क्रमांक 1357-58 दिनांक 29. 06.2017 इस आशय का जारी किया कि आप व आपके परिजनों ने शव लेने से इन्कार किया है तथा प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, रतनगढ ने अपने पत्र क्रमांक 2376-79 दिनांक 27.06.2017 से अवगत कराया है कि मृतक श्री आनन्दपाल सिंह के शव की वजह से वातावरण दूषित होने व जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना है। अतः शीघ्र ही शव का निष्पादन करावें। पुनः सूचित किया कि अगर शव प्राप्त नहीं किया जाता है तो पुलिस नियमानुसार दाह संस्कार करायेगी। इस सब कार्यवाही के पश्चात माननीय न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रतनगढ, चूरू के समक्ष मृतक श्री आनन्दपाल सिंह की मां श्रीमती निर्मल कंवर के

प्रार्थना पत्र पर जिला अस्पताल, चूरू में पुनः पोस्टमार्टम कराये जाने का आदेश दिया गया, जिस पर दिनांक 30.06.2017 को पुनः पोस्टमार्टम किया गया। इसके पश्चात मृतक के परिजनों को सूचित किया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक के शरीर में Decomposition होने से बदबू आना शुरू हो गई है व चमडी खराब हो गई है। इससे वातावरण में संक्रमण फैल सकता है व पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शव का अन्तिम संस्कार जल्दी करने की हिदायत दी गई है। पुनः सूचित किया गया कि अगर शव प्राप्त नहीं किया गया तो पुलिस द्वारा शव का अन्तिम संस्कार पुलिस नियम के अनुसार किया जायेगा। अन्त में दिनांक 01.07.2017 को अनुसन्धान अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस परामर्श व सहायता केन्द्र, जिला बीकानेर, कैम्प चूरू मृतक श्री आनन्दपाल सिंह के शव को लेकर ग्राम सावराद लेकर पहुंचे तथा मृतक श्री आनन्दपाल सिंह का शव आनन्दपाल सिंह के मामा श्री अमरसिंह व पुत्री यज्ञजीतसिंह उर्फ योगिता को जरिये सुपुर्दगीनामा दिनांक 01.07.2017 सुपुर्द किया। दिनांक 01.07.2017 से उक्त शव मृतक श्री आनंदपाल सिंह के परिवार के कब्जे में बिना दाहसंस्कार के रखा हुआ है।

यह तथ्य इस कारण से अंकित किये गये जिससे यह स्पष्ट हो सके कि श्री आनन्दपाल सिंह की मृत्यु पुलिस कार्यवाही (Encounter) में दिनांक 24.06.2017 को होने के पश्चात आवश्यक पोस्टमार्टम कार्यवही पूरी किये जाने के पश्चात मृतक के परिवार को एक बार शव सुपुर्द कर दिया गया। उक्त शव, पुलिस के अनुसार पुनः राजकीय अस्पताल, रतनगढ, चूरू में छोड दिया गया। स्वयं मृतक की माताजी श्रीमती निर्मल कंवर द्वारा सक्षम न्यायालय से पुनः पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराने का आदेश दिनांक 30.06.2017 को प्राप्त किया गया जिसकी पालना में दिनांक 30.06.2017 को ही

मृतक का दोबारा पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है। मृतक की मृत्यु दिनांक 24.06.2017 से 18 दिन व न्यायिक आदेश से पोस्टमार्टम (दिनांक 30.06.2017) से आज 12 दिन पश्चात भी व मृतक के परिजनों के पास दिनांक 30.06.2017 से आज दिनांक 12.07.2017 तक शव होने के पश्चात भी मृतक के परिजनों द्वारा दाह संस्कार नहीं किया गया है।"

आयोग के उपर्युक्त प्रसंज्ञान आदेश दिनांक 12.07.2019 से स्पष्ट है कि ***राज्य में विभिन्न कारणों से मृत व्यक्तियों के शरीर (Dead Person Body) को रोके रखकर, घटनास्थल पर घरों में, सार्वजनिक स्थलों पर, सरकारी व गैर सरकारी अस्पतालों के अंदर या बाहर शव रख कर आंदोलन किया जाना लगभग आम बात हो चुकी है।*** इसी प्रकार स्थिति यहां तक पहुंच चुकी है कि अपराधियों के शव आंदोलन को प्रभावित करने के लिए ही नहीं, बल्कि पुलिस व प्रशासन तथा राज्य सरकार पर भी दबाव डाले जाने हेतु प्रयोग किए जा रहे हैं। आयोग इन आंदोलनों व इनके कारणों और इनके उचित या अनुचित होने के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। परंतु जिस प्रकार से मृत व्यक्तियों के शरीर को प्रदर्शन हेतु रखकर आंदोलन ही नहीं, हिंसक आंदोलन वगैरा तथा शव को लगभग बंधक के रूप में रखकर प्रशासन व राज्य सरकार ही नहीं, बल्कि अस्पतालों में डॉक्टर्स तक से भी भारी राशि वसूल करने का सुगम हथियार अनेकों लोगों ने राज्य में बना रखा है। इस प्रकार से मृत शरीरों

का बंधक के रूप में रखकर दुरुपयोग किया जा रहा है जिसका कोई औचित्य नहीं है तथा शव के पीछे खड़े होकर आमजन को क्षेत्र में भारी परेशानियां भी उत्पन्न की जा रही हैं। इन सब तथ्यों को देखते हुए मृत शरीर का क्या प्रयोग किया जा सकता है इस पर विचार करना अति आवश्यक है।

आयोग के आदेश दिनांक 12 जुलाई, 2017 की पालना में राज्य सरकार के प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान के हस्ताक्षर से राज्य सरकार का मत दिनांक 11 जुलाई, 2017 आयोग को प्रस्तुत किया गया। राज्य सरकार का स्पष्ट कथन है कि :-

> "*मानव की मृत्यु के पश्चात उचित दाह संस्कार/अंतिम क्रियाकर्म मानव देह का प्राकृतिक एवं स्वाभाविक अधिकार है। साथ ही सामाजिक रीति-रिवाज व चलन के अनुसार मृत व्यक्ति के दाह संस्कार/अंतिम क्रियाकर्म का प्रथमत: अधिकार एवं दायित्व पुत्र-पुत्री, माता-पिता, भाई-बहन, परिवार एवं रिश्तेदारों का ही है। परिवार एवं अन्य किसी के द्वारा उसे (मृत देह को) किसी अन्य प्रयोजन के लिए अपने कब्जे में नहीं रखा जा सकता है।* ***इसके अतिरिक्त मृत मानव देह का समय पर अंतिम संस्कार नहीं***

<u>किया जाना उसके (मृत मानव के) शव का अपमान है एवं मानव जीवन की गरिमा के प्रतिकूल है।</u>"

राज्य सरकार द्वारा राज्य में प्रभावी राजस्थान पुलिस नियम, 1965 के नियम 6.36 के उपनियम 6 के आधार पर आयोग को अवगत कराया गया है कि :–

> **"**यदि मृतक के किसी प्रतिनिधि/परिजन द्वारा शव प्राप्त नहीं किया जाता है तो राजस्थान पुलिस नियम, 1965 के नियम 6.36 के उपनियम 6 के अन्तर्गत ज्योंही चिकित्सा अधिकारी इस बात की सूचना दे कि उसने परीक्षण पूरा कर लिया है और यदि पुलिस अधिकारियों को इस सम्बन्ध में कोई अन्य आदेश सक्षम अधिकारियों द्वारा न मिले तो शव को मृतक के रिश्तेदारों या मित्रों को सौंपेंगे। यदि कोई रिश्तेदार या मित्र न हो या वे शव लेने से इन्कार करें तो वे शव का अंतिम संस्कार कर देंगे।**"**

राज्य सरकार द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि किसी मृत व्यक्ति की देह का परिवार यदि दाह संस्कार नहीं करे तो स्थानीय प्रशासन द्वारा परिस्थितियों का परीक्षण कर निर्णय लिया जा सकता है। मृत देह के दाह संस्कार में विलंब परिजनों द्वारा अपनी मांगों को मनवाने

के लिए किया जाता है तथा साधारणतया ऐसे प्रकरणों में स्थानीय प्रशासन परिजनों से वार्ता कर शव का दाह संस्कार सुनिश्चित करता है।

यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि आयोग इस प्रकरण में एनकाउंटर में मारे गए श्री आनंदपाल की मृत्यु व इससे संबंधित आंदोलन के औचित्य इत्यादि पर कोई टिप्पणी नहीं कर, श्री आनंदपाल के शव से संबंधित मात्र तथ्यों का उल्लेख आदेश में ऊपर अंकित बिंदुओं पर विचार करने के लिए मात्र तथ्य के रूप में प्रयोग कर रहा है। इस तथ्य के साथ यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि इस दौरान मृतक का दो बार पोस्टमार्टम भी हुआ व चिकित्सकीय राय निम्न प्रकार की प्राप्त हुई :–

> "***The body is in intermediate stage of decomposition, foul smell present peeling or skin present. Infection can spread to environment due to decomposition. Advice- Early disposal of body.***"

इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट व चिकित्सकीय राय दिनांक 30 जून, 2017 के पश्चात भी दाह संस्कार 13 दिन बाद दिनांक 13 जुलाई, 2017 को किया जा सका।

विश्व में किसी भी क्षेत्र में, किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में व किसी भी समाज में सैकड़ों ही नहीं, बल्कि हजार वर्ष से भी अधिक समय से या जब तक के समय के मानव व्यवहार की जानकारी उपलब्ध है, शव का एक ही उपयोग किया जाता है और वह है, शव का पूर्ण सम्मान के साथ अंतिम संस्कार/अंतिम क्रियाकर्म। यही नहीं, मिश्र राज्य में शव पर लेप लगाकर "ममी"[1] के रूप में रखकर अंतिम संस्कार किया जाता था ***और इस हेतु भी अलग स्थान रखे जाते थे।*** आयोग के आदेश दिनांक 12 जुलाई, 2017 के सम्बन्ध में समाचार पत्रों व टीवी समाचारों में अत्यंत विस्तार से समाचार प्रकाशित व प्रसारित करने के पश्चात भी आयोग को ऐसा कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ जिसमें यह कहा गया हो कि, कहीं पर भी, किसी भी परिस्थिति में, शव का दाह संस्कार नहीं किए जाने की प्रथा प्रचलन में है। यह निश्चित है कि शव का परिवार, रिश्तेदार व समाज ही नहीं, बल्कि राज्य सरकार, जरिए स्थानीय निकाय अथवा पुलिस की जहां आवश्यकता हो, दाह संस्कार करते हैं या करवाते हैं। अतः मात्र इस आधार पर आयोग यह निष्कर्ष ले सकता है कि, शव का दाह संस्कार करना सैकड़ों-हजारों वर्षों की रूढी कानून (*Customary Law)* के अनुसार आवश्यक है। **कभी भी किसी भी व्यक्ति के शव को परिवार की इच्छा मात्र से बिना अन्तिम संस्कार रखे जाने का कोई उदाहरण प्राप्त**

नहीं होता है। कुछ व्यक्ति भावनावश तत्काल शव का दाह संस्कार नहीं करते हैं, या शव का दाह संस्कार करने में देरी करते हैं, तब रूढी की विधि की पालना रिश्तेदार, समाज के व्यक्ति व आस-पडौस के लोग समझाइश करके करवाते हैं। इसके भी उदाहरण मिल सकते हैं। **लेकिन शव का दाह संस्कार नहीं होने के कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं है।** उपर्युक्त कारण मात्र से भी यह निष्कर्ष दिया जा सकता है कि, हर परिस्थिति में शव का यथाशीघ्र दाह संस्कार मृतक के धर्म, जाति, समाज व मृतक की जीवित अवस्था में लागू रीति-रिवाज के अनुसार संपूर्ण किया जावे। दाह संस्कार में अनावश्यक व अनुचित देरी हेतु कोई स्थान नहीं है।

दाह संस्कार व्यक्तिगत कानून (*Personal Law),* व्यक्तिगत/जातिगत रिवाज से व मान्यता से, तथा किस प्रकार से, व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं, यह भी व्यक्तिगत कानून (*Personal Law),* परंपरा व रीति रिवाज से निश्चित हैं। यहां यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि, अंतिम क्रियाकर्म किस प्रकार से हो, यह भी सुनिश्चित है। जिसमें अग्निदाह, जमीन में दफन, जलदाह तथा वायुदाह इत्यादि प्रमुख अंतिम संस्कार की विधियां सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। सुस्थापित तरीके से इन सभी अंतिम संस्कारों में एक मूल तत्व आवश्यक रूप से शामिल है और वह है, *सम्मान पूर्वक व गरिमा पूर्वक मृतक के शरीर का*

दाह संस्कार/अंतिम क्रियाकर्म किया जावे । मृतक के शरीर के अत्यंत सम्मानपूर्वक व गरिमापूर्वक अंतिम क्रियाकर्म के लिए अनेक वर्षों से कई आदेश व कई न्यायिक दृष्टांत देखे जा सकते हैं जिनमें विश्व के सभी न्यायालयों, भारत के न्यायालयों व भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी लगातार व निश्चित रूप से न केवल मृत शरीर का अंतिम संस्कार किया जाना उल्लेखित किया गया है, बल्कि Decent burial किए जाने के ही निर्देश भी जारी किए गए हैं।

मृत शरीर क्या है? इसकी प्रकृति क्या है? इस पर अधिकार किसके हैं? एवं कैसे अधिकार हैं? ये बिंदु, इस विषय पर विचार करने के लिए आवश्यक बिंदु है।

सर्वप्रथम जीवित व्यक्ति के संबंध में मानव होने के विचार पर कोई विवाद नहीं है। **व्यक्ति को जन्म से पूर्व गर्भावस्था से ही मानव अधिकार प्राप्त होते हैं।** आयोग के समक्ष मात्र यह बिंदु है कि मानव को जो मानव अधिकार जन्म से पूर्व **गर्भावस्था** में, जन्म के पश्चात **अवयस्क अवस्था** में तथा उसके पश्चात **वयस्क अवस्था** में प्राप्त होते हैं। क्या मानव अधिकार मृत्यु होते ही मानव के शरीर से अलग हो जाते हैं तथा मानव के मृत शरीर के कोई मानव अधिकार नहीं होते हैं ?

विश्व का प्रत्येक व्यक्ति अपनी एक पहचान रखता है वह एक नाम व अपनी विशिष्ट आकृति/प्रकृति से पहचान रखता है। यह *पहचान भी व्यक्ति का मानव अधिकार है।* मृत्यु के पश्चात भी उपर्युक्त व्यक्ति के शरीर की, एक निश्चित पहचान, उस जीवित व्यक्ति के शरीर के रूप में, जब तक अंतिम क्रिया से उसके दिखने वाले शरीर का निस्तारण नहीं हो जाता है, तब तक मृतक का शरीर जीवित व्यक्ति की शिनाख्तगी होता है और मृतक के जीवनकाल के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का भी परिचायक होता है। यह प्रथम प्रमाण, व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात मृतक को प्राप्त, मानव अधिकार को प्रमाणित करता है।

मृतक व्यक्ति का शरीर किसी भी व्यक्तिगत कानून (*Personal Law),* रूढी कानून (*Customary Law),* प्रथा (*Usage*) अथवा विधि के अनुसार मृतक के विधिक उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं होता है। अत: मृतक के उत्तराधिकारी मृतक के शरीर को मात्र रूढी कानून के तहत अंतिम संस्कार करने हेतु प्राप्त कर सकते हैं। मानव मृतक के शरीर का विधिक उत्तराधिकारी नहीं होता है। अत: विधिक उत्तराधिकारी मृतक के शरीर का न तो बंटवारा कर सकते हैं, न शरीर से किसी प्रकार का व्यापार कर सकते हैं, न मृतक के शरीर अथवा शरीर के अंगों को बेच सकते हैं, और न ही मृतक के शरीर को संपत्ति के बदले में देने व

स्वीकार करने का अधिकार रखते हैं। कुछ भ्रांतियां देहदान-अंगदान के जनहित के प्रयोग से उत्पन्न हो सकती है। परंतु मात्र कुछ गंभीरता से विचार करने पर यह भ्रम दूर हो जाता है। अंगदान या देहदान किस प्रकार से हो सकते हैं, इसके लिए भारत के संविधान के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के तहत संपूर्ण प्रक्रिया विधि द्वारा स्थापित है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से, सक्षम सहमति के आधार पर अंगदान व देहदान प्राप्त करने से किसी प्रकार का मानव अधिकार अथवा व्यक्ति के विधिक अधिकार का हनन नहीं होता है और इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि, अगर मानव देह के मानव अधिकार होंगे तो अंगदान और देहदान जैसे मानवता के कार्य भी नहीं किए जा सकेंगे। *Transplantation of Human Organs Act, 1994* के प्रावधानों का अवलोकन किया जा सकता है। अंग प्रत्यारोपण के लिए जीवित व्यक्ति (Brain Dead) के अंगदान दिये जा सकते हैं। अत: जीवित व मृत व्यक्ति के अंगदान से मानव अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं।

मानव अंगों को कानूनन प्रत्यारोपण के लिए दिए जाने का अधिकार मृत्यु पूर्व मृतक में निहित होता है। इस हेतु कानूनन प्रावधान *The Transplantation of Human Organs and Tissues Act, 1994* (संशोधित अधिनियम, 2013) व इसके अन्तर्गत बनाये गये *The*

Transplantation of Human Organs and Tissues Rules, 2014 के नियम 3 से स्पष्ट है। मृत्यु पूर्व मानव स्वयं अपने शरीर को दान कर सकता है, जो कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है और इस प्रकार से अंगदान भी कर सकता है। ऐसे दान की पूर्ति भी मानव के परिवार, रिश्तेदारों, समाज व सरकार द्वारा करवाई जाती है। मानव को मानव शरीर के अंगों को बेचा नहीं जा सकता है। अतः मानव शरीर का व मानव अंगों का बाजारू मूल्य नहीं हो सकता है। मानव शरीर व मानव अंगों का व्यापार नहीं हो सकता है। इसे यह भी कहा जा सकता है कि मानव शरीर व मानव अंग *res extra commercium* हैं। इन सभी कारणों से किसी व्यक्ति का परिवार, रिश्तेदार या अन्य मित्र (next friend) मानव शरीर को मृत्यु के पश्चात न तो संपत्ति के रूप में प्राप्त करता है और न ही संपत्ति के रूप में रख सकता है। मृत्यु के पश्चात मानव शव, जैसा कि ऊपर अंकित किया जा चुका है, कानूनी प्रक्रिया के अलावा तथा कानून के अनुसार अंगदान व देहदान के अलावा, मात्र अंतिम संस्कार के लिए और वह भी निश्चित व उचित समय के लिए रखा जा सकता है।

मानव की मृत्यु के पश्चात मानव के शव का सम्मानपूर्वक दाह संस्कार (Decent burial) आवश्यक ही नहीं, बल्कि हमें यह भी याद रखना चाहिए कि, राष्ट्र के लिए वीरगति प्राप्त करने वाले और राष्ट्र के

महान नेताओं के शवों को राष्ट्रीय सम्मान व राष्ट्रीय ध्वज से ढककर व मृत शरीर के सम्मान में तोपों व बंदूकों से सशस्त्र बल द्वारा सम्मान दिया जाता है। यह सम्मान भी एक शव को ही दिया जाता है अर्थात Dead Body को सम्मान दिया जाता है। यह सम्मान महापुरुषों के जीवन में किए गए महान कार्यों के लिए मृत्यु उपरांत मृत शरीर को दिए जाते हैं। यहां तक कि देश के दुश्मन के शव को भी आदर सहित लौटाया जाता है व नहीं लेने पर उसका भी दाह संस्कार किया जाता है। इन तथ्यों को नजरअंदाज कर यह नहीं कहा जा सकता है कि, व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात तत्काल उस व्यक्ति की मृत देह, पहचान व मान-सम्मान को खो देती है। महापुरूषों की मृत देह को सम्मान दिया जाना राष्ट्र का कर्तव्य बन जाता है, जो वास्तव में जीवित व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात ही राष्ट्र ऐसे ऋण को चुकाने की चेष्टा करता है। अत: शव को इतने हल्के से विचार के लिए नहीं लिया जा सकता है जिससे कि शव के मान-सम्मान एवं सम्मानपूर्वक अन्तिम संस्कार पर ही प्रश्नचिन्ह लग जाए, जो कि लगभग सभी देशों के न्यायालयों के न्यायिक निर्णयों के विरुद्ध होगा। राज्य आयोग का स्पष्ट मत है कि शव के मानवाधिकारों के संबंध में वास्तव में कोई विवाद तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यह मृत व्यक्तियों की गरिमा के भी विपरीत होगा।

माननीय उच्चतम न्यायालय के अत्यंत संक्षिप्त निर्णय, *PT. PARMANAND KATARA, ADVOCATE VERSUS UNION OF INDIA AND ANOTHER (1995) 3 SCC 248* में मृत शरीर के मानव अधिकार होने की अंतिम घोषणा भी की जा चुकी है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित घोषणा की गई:-

> **"**We agree with the petitioner that right to dignity and fair treatment under Article 21 of the Constitution of India is not only available to a living man but also to his body after his death.**"** (Emphasis Supplied)

न सिर्फ माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस निर्णय में मृत शरीर के मानव अधिकारों की घोषणा की गई है, बल्कि बाध्यकारी निर्णयों में आदेश भी दिया गया है, जिसकी भावना के अनुसार, व्यक्ति को मृत्युदंड आदेश के पश्चात फांसी दिए जाने पर भी मृतक के शरीर को अनावश्यक देरी तक फांसी पर लटकाए नहीं रखा जा सकता है।

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा *रामजी सिंह उर्फ मुजीब भाई बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य* (सिविल विविध रिट याचिका संख्या 38985/2004) के निर्णय दिनांक 27 मार्च, 2009 मे मृत

शरीर के मानव अधिकारों के संबंध में विस्तार से विचार किया गया। उक्त निर्णय के निम्नलिखित भाग का आदेश में समावेश किया जाता है :-

"A person also has a right to protection of his dead body, to be mutilated, wasted or its organs to be taken out, except by the consent of the person, when he was alive, or on the consent of his kith and kin or the State if body is unclaimed, under the Transplantation of Human Organs Act, 1994. The word person may not be construed narrowly so as to exclude the dead body of a human being, who was the person, when alive, which is not claimed and which is required to be cremated or buried with dignity in accordance with the religious beliefs of the person, if such beliefs can be found by establishing his identity. The State is obliged in law to maintain sanitation to remove the body, which becomes dangerous, for the safety of the other living being for its adequate disposal. An unclaimed dead body has to be claimed by the State both for the purposes of investigation of the crime, if it was committed on the human being, who did not die naturally for scientific investigation or for research and medical education. The State is obliged in law both

under its powers as a welfare state, and to protect the rights of such person in its extended meaning under Art.21 of the Constitution of India for disposal of a dead body for a decent and dignified cremation/ burial in accordance with the religion beliefs the man kept or professed." (Emphasis Supplied)

माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जमनादास पारसराम बनाम मध्यप्रदेश राज्य (AIR 1963 MP 106) के निर्णय में धारा 392, भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में विचार करते समय यह निष्कर्ष दिया है कि, ***मानव*** (***Person***) ***को परिभाषित करते समय व्यक्ति के मृत शरीर को परिभाषा से बाहर नहीं रखा जा सकता है।*** माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा *रामजी सिंह उर्फ मुजीब भाई* के प्रकरण में भी माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय *पी.टी. परमानंद कटारा व माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जमनादास पारसराम* के निर्णयों पर भरोसा कर मृतक के मानव अधिकारों की घोषणा की गई।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आश्रय अधिकार अभियान बनाम भारत संघ एवं अन्य (2002) 2 SCC 27 में *बेघरबार व जिनके मृत शरीर को लेने वाला कोई भी नहीं हो उन मृत शरीरों के सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार* (*Decent burial*) *के आदेश स्थानीय निकाय को दिए गए।*

माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा एक अन्य प्रकरण **S.Sethu Raja vs The Chief Secretary,** W.P.(MD)No. 3888/2007 में निर्णय दिनांक 28 अगस्त, 2007 में पद संख्या 18 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 पर विचार करने के पश्चात निर्णय दिया कि एक अच्छा दफनाना या अन्तिम संस्कार करना मृत मानव का अधिकार (human dignity का अधिकार) है। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय निम्नानुसार है :-

" By our tradition and culture, the same human dignity (if not more), with which a living human being is expected to be treated, should also be extended to a person who is dead. The right to accord a decent burial or cremation to the dead body of a person, should be taken to be part of the right to such human dignity. "

इसी प्रकरण में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय पद संख्या 19 में माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरण, Pt.Parmanand Katara Vs. Union of India 1995 (3) SCC में दिये गये बाध्यकारी निर्णय का वर्णन किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद-21 के अनुसार निम्न प्रकार की घोषणा की गई है :-

" We agree with the petitioner that right to dignity and fair treatment under Article 21 of the Constitution of India is not only available to a living man but also to his body **after his death.** "

उपर्युक्त धारणा के आधार के संबंध में *Marquette Law Review* के अंक 9 में दिनांक 01 दिसम्बर, 1924 को प्रकाशित एक लेख *Property in Dead Bodies* का उल्लेख किया जाना उचित समझा जाता है। *Walter F. Kuzenski* द्वारा लिखित इस लेख में बहुत शोध कार्य किया गया है। *Walter F. Kuzenski* के अनुसार विद्वान *R. S. Guerney* द्वारा *IO Cent. L. J., 303-325 में यह* घोषित किया गया है कि, मृत शरीरों पर मृतक के नजदीक के रिश्तेदारों पर एक जिम्मेदारी है कि, वे अपने उक्त मृतक रिश्तेदार का अंतिम संस्कार करें। इस धारणा के लिए भी कारण यही बताया गया है कि मृत शरीर कोई संपत्ति नहीं होती है। इसी लेख में एक प्रकरण *In re Widening of Beekman Street, (4 Bradf. (N. Y.) 503)* में पारित निर्णय में दिए गए मार्गदर्शन का उल्लेख किया है यह दिशा-निर्देश निम्न प्रकार से है :-

" 1. That neither the corpse, nor its burial, is legally subject, in any way, to ecclesiastical cognizance nor to sacerdotal power of any kind.

2. ***<u>That the right to bury a corpse and to preserve its remains, is a legal right, which the courts of law will recognize and protect.</u>***

3. ***<u>That such right in the absence of any testamentary disposition, belongs to the next of kin.</u>***

4. ***<u>That the right to protect the remains includes the right to preserve them by separate burial, to select the place of sepulture and change it at pleasure.</u>***

5. *That if the place of burial be taken for public use, the next of kin may claim to be indemnified for the expense of removing and suitably reinterring their remains." (Emphasis Supplied)*

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इंग्लैंड में मृत शरीरों पर चर्च अपना एकमात्र अधिकार बताती रही है। इसका कारण यह बताया गया कि सभी श्मशान चर्च के हैं तथा चर्च को Probate प्रदान करने का अधिकार है। भारत में पूर्व में व वर्तमान में चर्च का एकमात्र अधिकार है या नहीं, यह बिंदु फिलहाल इस प्रकरण में कोई महत्व नहीं रखता है। यही नहीं, वर्ष 1804 से पूर्व कुछ देशों में मृत शरीर को ऋण की राशि वसूल करने के लिए हिरासत में लिए जाने का प्रचलन भी था। इस धारणा को वर्ष 1804 में *Lord Ellen borough* के निर्णय अनुसार समाप्त कर दिया गया, क्योंकि मृतक व मृतक में कोई संपत्ति नहीं है और न ही इसकी कोई

कीमत है। अत: ऐसे में मृत शरीर को कैसे बंदी बनाया जा सकता है अथवा कुर्क किया जा सकता है। इस निर्णय का महत्व होने से यहां अंकित किया जाता है। लेखक *Walter F. Kuzenski* द्वारा कई न्यायिक दृष्टांतों का अध्ययन कर निम्नलिखित मत प्रकट किया है :-

> **''Though it is *now quite generally settled that the next of kin are entitled to bury their dead, and that it is their duty, yet such is merely an empty privilege unless such right is enforcible."***

इसके पश्चात निम्नलिखित मत प्रकट किया है :-

> *" In the opinion of this writer, there exists in the next of kin of a deceased person a qualified property interest in trust for burial." (Emphasis Supplied)*

अमेरिका के मृतक के संबंधियों के हितों के संबंध में एक प्रकरण में मृतक के संबंधियों के दाह संस्कार को सामाजिक स्वतंत्रता व जनहित तथा शालीनता के रूप में स्वीकार किया गया। इस प्रकरण में स्पष्ट रूप से यह भी निर्णय लिया गया कि मृत शरीर में संपत्ति या वाणिज्य का अधिकार हैं अथवा नहीं, किसी प्रकार से सारवान नहीं है। न्यायालय टिप्पणी निम्न प्रकार से है :-

'' The whole subject is only obscured and confused by discussing the question whether a corpse is property in the ordinary commercial sense or whether it has any value as an article of traffic," (Emphasis Supplied)

एक अन्य केस में, वर्ष 1904 में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का वर्णन है जिसमें न्यायालय द्वारा यह घोषित किया गया कि यह घोषणा इस हद तक उचित होगी कि, सीमित रूप से मृत शरीर को संपत्ति के रूप में मान्यता इसलिए दी जा सकती है कि मृतक के नजदीकी रिश्तेदारों को शव का अंतिम संस्कार करने का अधिकार है। लेखक का निम्नलिखित तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है :-

''There can be no valid objection on the ground of public policy if the rule above expressed is adhered to, ***for the property is subject to a public trust to bury, and cannot be made the subject of a revolting commerce."***

स्पष्ट है कि मृत शरीर का वाणिज्यिक उपयोग नहीं हो सकता है। यही मत उपर्युक्त लेख में वर्णित अन्य कई न्यायिक दृष्टांतों में पाया जाता है।

एक अन्य विवाद, जिसमें दाह संस्कार हेतु एक धर्म के अनुयायियों के शव यात्रा निकालने पर एक समाज की आपत्ति के प्रकरण का निर्णय

करते समय माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 5202/1998 मोहम्मद गनी, सेक्रेटरी, गनी बीबी दरगाह मस्जिद बनाम *the suprentendant of police* में दिए गए निर्णय दिनांक 14 जुलाई, 2005 के पद संख्या 21 में, संविधान के अनुच्छेद-25 (1) के अंतर्गत मृत व्यक्ति के दाह संस्कार स्वयं की रीति-रिवाज के अनुसार करने के अधिकार को संविधान में दिए गए मूल अधिकार का भाग घोषित किया गया है। यही घोषणा पत्र संख्या 26 व 27 में की गई है। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के इस निर्णय के पद संख्या 35 में दिया गया निर्णय भी महत्वपूर्ण है, जिसमें यह कहा गया है कि धार्मिक रीति रिवाज (practices) संविधान के अनुच्छेद-25 (1) के अनुसार *Public Orde*r से बाधित है। अत: शव के दाह संस्कार के बिंदु पर भी अगर *Public Orde*r का विषय आता है तो संविधान के अनुच्छेद संख्या 25 (1) के अनुसार ऐसी धार्मिक प्रथाओं को भी नियंत्रित किया जा सकता है।

उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांतों के अलावा अन्य और अधिक न्यायिक दृष्टांत व इस संबंध में अन्य विचारकों के लेखों का भी विस्तार से उल्लेख किया जा सकता है, परंतु ऊपर उल्लेखित व माननीय उच्चतम न्यायालय के बाध्यकारी निर्णयों के पश्चात इस आदेश में किन्हीं और तथ्यों की आवश्यकता नहीं है।

राज्य आयोग की जानकारी में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर का निर्णय *शशिमणि मिश्रा व अन्य बनाम मध्यप्रदेश राज्य* व अन्य, *रिट याचिका संख्या 3945/2019* में पारित आदेश दिनांक 17 जून, 2019 के आने के कारण से उपर्युक्त निर्णय पर भी विचार किया जा रहा है। यद्यपि उक्त निर्णय राज्य में बाध्यकारी नहीं है, परंतु राज्य आयोग किसी भी उच्च न्यायालय के निर्णय को हल्के में नहीं ले सकता है, इसलिए माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के *श्रीमती शशिमणि मिश्रा* के आदेश का क्या प्रभाव है, विचार किया जा रहा है। *श्रीमती शशिमणि मिश्रा* के प्रकरण में एक व्यक्ति श्री कुलमणि मिश्रा को बंसल हॉस्पिटल (जबलपुर) में दिनांक 13 जनवरी, 2019 को भर्ती किया गया। श्री कुलमणि को सांस की भारी तकलीफ थी व श्री कुलमणि का दिन के 4.30 बजे, दिनांक 14 जनवरी, 2019 को देहांत हो गया। इस मृत्यु का मृत्यु प्रमाण-पत्र भी जारी किया जा चुका था। आरोप था कि उपर्युक्त श्री कुलमणि का दाह संस्कार नहीं किया जाकर उनकी देह को उन्हीं के आवास में रखा गया है। इस संबंध में एक स्थानीय समाचार पत्र में एक माह बाद दिनांक 14 फरवरी, 2019 को समाचार प्रकाशित हुआ कि उपर्युक्त श्री कुलमणि मिश्रा के शव के कारण से क्षेत्र में बदबू फैली है व उनके पुत्र/परिवार द्वारा झाड़-फूंक किया जा रहा है, जबकि परिवार का

कथन है कि श्री कुलमणि मिश्रा को दिनांक 14 जनवरी, 2019 को ही पुन: जीवन मिल गया तथा श्री कुलमणि मिश्रा के परिवार के सदस्यों के अनुसार श्री मिश्रा को आयुर्वेदिक दवाइयां भी दी जा रही है। इन तथ्यों के आधार पर इस समाचार पर राज्य मानवाधिकार आयोग, मध्य प्रदेश द्वारा प्रसंज्ञान लिया जाकर आदेश दिनांक 19 फरवरी, 2019 से क्षेत्र के महानिदेशक पुलिस को निर्देश दिए गए कि उच्च पुलिस अधिकारी, गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल के डीन अथवा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भोपाल से 3 सदस्यीय चिकित्सकीय समिति गठित करवायें जिनमें आयुर्वेदिक चिकित्सा व एलोपैथी चिकित्सा के विशेषज्ञों को शामिल कर उपर्युक्त श्री कुलमणि मिश्रा के घर में प्रवेश कर श्री कुलमणि मिश्रा की वास्तविक स्थिति के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अंत में श्रीमती शशिमणि मिश्रा जो कि श्री कुलमणि मिश्रा की पत्नी हैं व अन्य परिवार के सदस्यों द्वारा माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर में रिट याचिका संख्या 3945/2019 प्रस्तुत की। इस रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं का स्पष्ट कथन था कि, *श्री कुलमणि मिश्रा* की मृत्यु नहीं हुई व उनकी घर पर चिकित्सा की जा रही है। याचिकाकर्तागण का कथन था कि याचिकाकर्तागण के घर में प्रवेश कर याचिकाकर्तागण के निजता के अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता है, चाहे भले ही यह जांच

करने के लिए कि उपर्युक्त श्री कुलमणि मिश्रा जीवित हैं अथवा नहीं। माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की एकल पीठ द्वारा इस संबंध में तथ्यों की जांच करना आवश्यक नहीं समझा गया कि, क्या उपर्युक्त श्री कुलमणि मिश्रा जीवित है अथवा नहीं। अगर याचिकाकर्ताओं का कथन सत्य है कि, *श्री कुलमणि मिश्रा* जीवित हैं और यह तथ्य रिकॉर्ड पर आता तो मृत व्यक्ति के क्या अधिकार हैं, इस विषय पर किसी निर्णय की आवश्यकता शायद नहीं होती। माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर ने यह मानकर (तर्क के रूप में मानकर) कि, श्री कुलमणि मिश्रा की मृत्यु हो चुकी है, मृत शरीर के मानव अधिकारों के संबंध में विचार करते समय निष्कर्ष दिया है कि, उपर्युक्त श्री कुलमणि मिश्रा के शरीर से बदबू आने के समाचार तथ्यों पर आधारित नहीं है और इसके विपरीत परिस्थितिजन्य तथ्य यह है कि किसी भी पडौसी द्वारा मृत शरीर की बदबू आने की शिकायत नहीं की गई थी व उसके साथ ही स्वयं याचिकाकर्तागण श्री कुलमणि मिश्रा के परिवार के सदस्य उसी घर में रह रहे हैं, जहां पर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के अनुसार, श्री कुलमणि मिश्रा का मृत शरीर रखा हुआ है। माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा यह भी संभावना जाहिर की गई कि यद्यपि बहुत कम प्रकरणों में ऐसा होता है परंतु श्री कुलमणि मिश्रा के प्रकरण में

यह भी संभव है कि श्री कुलमणि मिश्रा के शरीर में स्वत: प्रक्रिया से ऐसा हुआ हो जिससे मृतक के शरीर की स्वत: नष्ट होने की प्रक्रिया रुक गई। माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा की गई टिप्पणी का उल्लेख करना आवश्यक होने से यहां उल्लेख किया जा रहा है :-

> *"On the other hand, even if it is assumed that Mr. Kulamani Mishra is no more, there is a possibility of the body having undergone a process of natural mummification which though rare, is not unknown and therefore, decomposition of the body may have been halted."* *(Emphasis Supplied)*

अतः प्रतीत होता है कि श्री कुल मणि मिश्रा की अगर मृत्यु हो चुकी है तो माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इस टिप्पणी से यह भी स्पष्ट होता है कि माननीय उच्च न्यायालय इस तथ्य से प्रभावित रहे हैं कि मृतक के शरीर से कोई बदबू नहीं आ रही है या शरीर मृत्यु के पश्चात स्वाभाविक रूप से जिस प्रक्रिया (*decomposition*) उस प्रक्रिया से नहीं गुजर रहा है। राज्य आयोग के लिए यह साधारण स्थिति महत्वपूर्ण नहीं है। शव (*decomposition*) की प्रक्रिया से रुक भी जाए तब भी किसी व्यक्ति को शव को रखने का अधिकार, न तो कानून में है और न ही यह

सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप है व शव को इस प्रकार से रखने की अनुमति देने के अधिकार से सामाजिक अव्यवस्था फैलेगी तथा आमजन का जीवन दूभर हो जाएगा।

माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा श्रीमती शशिमणि मिश्रा के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के *पी.टी. परमानंद कटारा* के प्रकरण में दिए गए निर्णय व माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, *S. Sethuraja Vs. The Chief Secretary, Government of Tamil Nadu and Ors - W.P. (MD) No. 3888 of 2007* से अपना भिन्न मत इस निर्णय में दिया गया है। माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा *शशिमणि मिश्रा* के प्रकरण में यह निर्णय दिया गया कि याचिकाकर्तागण का अपने घर में संपूर्ण निजता का अधिकार है और इस निजता के अधिकार का उल्लंघन यह जांच करने के लिए भी नहीं किया जा सकता है कि याचिकाकर्तागण के घर में परिवार के सदस्य का मृत शरीर है अथवा जीवित शरीर है। माननीय उच्च न्यायालय के अनुसार, <u>याचिकाकर्ताओं द्वारा मृत शरीर को अपने घर में रखना कोई गैरकानूनी कृत्य नहीं है और न कोई आपराधिक कार्य है तथा किसी पडौसी को भी कोई शिकायत नहीं है कि शरीर से बदबू आ रही है</u> तथा माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के *शशिमणि मिश्रा* के प्रकरण

में घोषित किया गया है कि मृत शरीर के मानव अधिकार नहीं होते हैं। उक्त निर्णय करते समय इस तथ्य के समर्थन में अंगदान व देहदान संबंधी कानून का उल्लेख भी किया गया है।

माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के *शशिमणि मिश्रा* प्रकरण में दिया गया निर्णय दिनांक 17 जून, 2019 माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय से विपरीत होने के कारण से तथा माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय तथा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व के *जमनादास पारसराम* के विरूद्ध होने से राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग को उक्त निर्णय से कोई सहायता प्राप्त नहीं हो रही है। *श्रीमती शशिमणि मिश्रा* के प्रकरण में याचिकाकर्ताओं का याचिका में, जैसा कि निर्णय में तथ्यों का उल्लेख है, यह कथन ही नहीं था कि उन्हें श्री कुलमणि मिश्रा के मृत शरीर को रखने का अधिकार है। जबकि राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग अविवादित रूप से मृत व्यक्ति के अधिकारों के सम्बन्ध में विचार कर रहा है। राज्य आयोग के अनुसार, इसी कारण से प्रतीत होता है कि माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर का ध्यान इस ओर आकृष्ट ही नहीं किया जा सका कि, याचिकाकर्ता मृतक के शरीर को किस विधि के प्रावधान के तहत रख सकते हैं? याचिकाकर्ताओं को शव को रखने के अधिकार के संबंध में अगर तर्क प्रस्तुत किये जाते

तो वे आत्मविरोधी *(Self Contradictory)* ही नहीं, बल्कि आत्मघाती (*Self Destructive*) हो सकते थे, क्योंकि रिट याचिकाकर्ता का कथन ही यही है कि घर में शव नहीं, जीवित व्यक्ति है। प्रतीत होता है, इसी कारण से माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के समक्ष यह तथ्य ही नहीं रखा गया कि मृत शरीर का दाह संस्कार के अलावा अन्य कोई प्रयोग नहीं किया जा सकता है। (सिवाय अंगदान, देहदान एवं वह भी विधि के अनुसार मात्र)।

चूंकि राज्य आयोग के समक्ष विचाराधीन प्रकरण के तथ्य स्पष्ट हैं। राज्य आयोग के समक्ष प्रमाणित मृत व्यक्ति के मानव अधिकारों का विषय है और इस विषय पर *पी.टी. परमानंद कटारा* के बाध्यकारी निर्णय को ध्यान में रखते हुए *श्रीमती शशिमणि मिश्रा* के प्रकरण को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। न सिर्फ यह, बल्कि निर्णय से प्रतीत होता है कि श्रीमती *शशिमणि मिश्रा* के प्रकरण में स्वयं माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का ध्यान माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के *जमनादास पारसराम* के निर्णय की ओर भी आकृष्ट नहीं किया गया। जैसा भी है, राज्य आयोग के लिए बाध्यकारी *पी.टी. परमानंद कटारा* का माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय व माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का

रामजीसिंह *उर्फ मुजीब भाई* में दिया गया निर्णय व मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय, तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होते हैं।

आदेश के पूर्व भाग में आयोग द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है कि शवों का दुरुपयोग किए जाने व शव की सहायता से व शव की आड में आंदोलन कर अवैध रूप से सरकार, प्रशासन, पुलिस, अस्पतालों और डॉक्टर्स पर दबाव डालकर राशि प्राप्त करने व अन्य कोई लाभ प्राप्त करने में होने वाले शव के अपमान, जिसे राज्य आयोग शव के मानव अधिकारों का हनन मानता है, की रक्षा हेतु आवश्यक नीति-निर्धारण व विधि के प्रावधानों को सुदृढ़ बनाया जाना आवश्यक है। राज्य में न सिर्फ शहरों में शवों को लेकर नाजायज या जायज मांगे मनवाने का प्रचलन बढ गया है, बल्कि गांवों में भी अनेक वर्षों से शव को लेकर समाज, जाति व धर्म के पंच "**मौताणा**" आदि की मांग करते हैं। इस सामाजिक बुराई को समाप्त करने का कर्तव्य राज्य का है। यहां पर माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के *रामजी सिंह उर्फ मुजीब भाई* के प्रकरण में आए तथ्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा अत्यंत खेदजनक तथ्यों का उल्लेख कर बताया कि किस प्रकार से व किस स्तर तक ऐसे सम्मानित व्यक्ति (वरिष्ठ अधिवक्ता) के शव को मुर्दाघर से लाकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता भवन के पोर्च में

रखकर फिरौती (*Ransom*) तक की मांग की गई जिनमें वकील समुदाय के सदस्य व नेता सम्मिलित हो गए। शव को रखकर हर्जाना व अधिवक्ता के परिवार के पुनर्वास की मांग रखी गई और यह धमकियां दी गई कि शव को अदालत परिसर के बरामदे में ले जाया जाएगा। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा भी इलाहाबाद के समाचार पत्रों में शव के साथ सड़क, पुलिस थानों इत्यादि पर प्रदर्शन करने की घटनाओं पर प्रसंज्ञान लिया। राज्य आयोग की राय में शव का मानव अधिकार हो या ना हो, परन्तु निश्चित ही शव को मांगे मनवाने के लिए, फिरौती वसूल करने के लिए बंधक के रूप में रखकर जुलूस निकालना या शव को एक जगह रखकर, शव का दाह संस्कार रोकने का अधिकार विश्व में किसी को नहीं दिया जा सकता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अगर शव के साथ इंसान की भावनाएं नहीं जुड़ी हुई होती तो शव को लेकर किसी प्रकार का आंदोलन, मांग व फिरौती वसूल करने के कार्य भी नहीं किए जा सकते थे। अत: यह भी एक अत्यंत सुदृढ़ प्रमाण है कि मानव शव के प्रति आमजन, प्रशासन व सरकार कितनी संवेदनशील है और इस संवेदनशीलता का लाभ, कुछ गलत तत्व जो स्वयं भी मानव हैं, का दुरुपयोग कर कानून व्यवस्था को नष्ट करते हैं। वास्तव में शव के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ करना अथवा उचित समय पर उसका दाह संस्कार नहीं करने पर

राज्य को त्वरित गति से आवश्यकतानुसार बल प्रयोग कर शव का दाह संस्कार सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि आमजन में आक्रोश, असंतोष व निराशा भी नहीं फैले। *श्री रामजी सिंह उर्फ मुजीबभाई* के प्रकरण में दिए गए निर्णय में निम्नलिखित पद अत्यंत महत्वपूर्ण है :-

> ***"We are pained to take judicial notice of the fact that in some cases the bodies of the victims of the crimes and of those who are killed in action, or in accidents are paraded in open by their kith or kin, or those, who have its temporary possession, in retaliation or in protest to the nature of the incident in which he died. Many a times recently, it is reported and had actually happened in Allahabad High Court when the dead body of Late Shri Srikant Awasthi, an Advocate was used by a section of the members of the Bar Association including its leaders, for ransom, for the demand made by them for compensation and rehabilitation of his family and more for their own selfish interest was brought from the mortuary to be kept in the portico of the Bar Association in the building of the Allahabad High Court, with threats of carrying it through the corridors of the Court, demanding action against the jailer in whose***

custody the person was entrusted in a contempt case and for extracting political mileage. Every day newspapers are covered with the reports of group of persons illegally confining the dead bodies on the road, or in front of the police stations holding up traffic for hours, making demands of compensation or for better road safety. The society should not permit such disgrace to the dead body. The State, which allows the possession of the dead body to be taken by a person or group of persons for such purposes, fails in its duty to preserve and to dispose of the dead body with dignity. The State through its agencies must take immediate possession of such dead bodies used for illegal means, for its decent and dignified cremation or burial in accordance with the religion or sect theperson may have professed.We are firmly of the view and direct that in all such cases, where dead body of a person is used for purposes other than a decent cremation/ burial, by the relatives and friends or where the dead body is unclaimed, the State Government is obliged in law to provide necessary facilities for its preservation and disposal in accordance with dignity and respect

which the person deserves , and except in a case of establishment of crime to which person may have been subjected or to ascertain the cause of death by scientific investigation, medical studies, or to save the life of another living person, the dead body shall not be allowed used for any other purposes.

If Courts are required to fulfill the desires of the dead person by execution of his will, the same Courts are also obliged for giving appropriate directions for the preservation and disposal of the dead bodies and for that purpose, to give an extended meaning of the expression, 'person' in Art.21 to include dead bodies of the persons, who were human beings, in a restricted sense. " *(Emphasis Supplied)*

रामजी सिंह उर्फ मुजीब भाई के प्रकरण में दिए गए निर्णय में अंकित तथ्य अपने आप में अति महत्वपूर्ण है। इस निर्णय से यह भी प्रमाणित है कि शव का दुरुपयोग कर नाजायज मांगे मनवाने हेतु तथा व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ तक लेने व सरकार, प्रशासन तथा अस्पतालों में डॉक्टर्स से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए नाजायज दबाव डाला जाता है और इसके लिए आम जनता की भावना को भड़का

कर लोक व्यवस्था (public order) को गंभीर रूप से प्रभावित किया जाता है। अतः इस प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए तथा लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए एवं क्षेत्र में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्पष्ट रूप से कानून बनाया जाना चाहिए।

राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 29 (क) के अंतर्गत पुलिस अधिकारी के कृत्य, कर्तव्य और उत्तरदायित्व में मानव गरिमा एवं मानव अधिकारों का संरक्षण करना सम्मिलित है। अतः मानव शव की गरिमा और मानव अधिकारों का संरक्षण करने हेतु पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 71 के तहत नियम बनाए जा कर प्रावधान बनाए जाएं कि पुलिस अधिकारियों की संतुष्टि के अनुसार किसी व्यक्ति के शव का व्यक्ति के व्यक्तिगत कानून अथवा रूढी/प्रथा के अनुरूप उचित समय में दाह संस्कार नहीं किया जाता है व शव की किसी विधि की पालना अनुसंधान में आवश्यकता नहीं हो तब पुलिस अधिकारी का उत्तर दायित्व होगा कि अधिनियम, 2007 की धारा 29 (क) सपठित (ख), (घ) के तहत शव का दाह संस्कार स्थानीय निकाय/स्थानीय प्रशासन की सहायता से मृतक व्यक्ति के धर्म/रीति रिवाज के अनुरूप जहां तक संभव हो पूर्ण कराएं।

राज्य सरकार शव का किसी आंदोलन/मौताणा या कोई राशि या मांग मनवाने के लिए किए जाने को दाण्डिक अपराध घोषित किए जाने हेतु उचित विधि के प्रावधान बनाएं।

अत: राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग निम्नांकित तथ्यों को प्रमाणित मानते हुए अनुशंषा करता है कि :-

(1) मृत व्यक्ति के सीमित मानव अधिकार होते हैं।

(2) मृत व्यक्ति के शरीर (शव) का एकमात्र उपयोग अगर देहदान/अंगदान विधि अनुसार नहीं किया गया है तो मात्र दाह संस्कार हेतु किया जा सकता है।

(3) विधि के किसी भी प्रावधान में अथवा रूढि व परंपरा के अनुसार भी किसी व्यक्ति का शव संपत्ति के रूप में उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं होता है।

(4) किसी भी मृत व्यक्ति के परिजन उक्त मृत व्यक्ति पर प्रभावी व्यक्तिगत विधि (*Personal Law*), रूढि *(Custom)* व परंपरा *(Usage)* के अनुसार, दाह संस्कार करने का प्रथम अधिकार रखते हैं।

(5) किसी भी व्यक्ति के शव का दाह संस्कार आवश्यक होने से मृतक के परिवार के सदस्य अथवा अन्य कोई भी व्यक्ति शव को अन्य प्रयोग के लिए अपने कब्जे में दाह संस्कार हेतु लगने वाले आवश्यक समय से अधिक नहीं रख सकते हैं।

(6) किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार द्वारा स्वयं के घर में रूढि व परंपरा जो कि रूढिगत कानून बन चुका है, के कारण से शव को घर में सीमित समय के लिए अथवा हमेशा के लिए रखना, रूढिगत विधि के विरुद्ध है।

(7) किसी मृत व्यक्ति के शव का दाह संस्कार व्यक्तिगत विधि *(Personal Law),* रूढि *(Custom)* व परंपरा *(Usage)* के अनुसार परिजन द्वारा नहीं किए जाने पर उपरोक्त मृत व्यक्ति के शव का दाह संस्कार यथासंभव व्यक्ति के व्यक्तिगत विधि *(Personal Law),* रूढि *(Custom)* व परंपरा *(Usage)* के अनुसार पूर्ण करने का दायित्व राज्य सरकार का होता है। यह दायित्व राज्य सरकार स्थानीय निकाय की सहायता से संपन्न करवा सकती है। इस हेतु आवश्यकता होने पर पुलिस सहायता ली जा सकती है। इस प्रयोजन हेतु, आवश्यकतानुसार राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा

29 (क-मानवाधिकार), (ख-पब्लिक न्यूसेन्स) के अंतर्गत सपठित धारा 71 पुलिस अधिकारियों को शव के प्रति, शव के सम्मान सहित शव के दाह संस्कार हेतु मृतक के परिवार द्वारा अगर शव की किसी अभियोग के अनुसंधान में आवश्यकता नहीं हो व किसी न्यायिक आदेश से शव के दाह संस्कार पर रोक नहीं हो, ऐसे प्रकरण में शव के दाह संस्कार संबंधित संपूर्ण कार्य करने हेतु विशेष अधिकार प्रदान किए जाएं।

(8) किसी भी व्यक्ति को स्वयं के घर में शव को रखने का मात्र इस कारण से अधिकार नहीं है कि, शव को घर में सीमित समय के लिए अथवा हमेशा के लिए रखना, किसी विधि में अपराध नहीं है। शव को अनावश्यक रूप से दाह संस्कार से वंचित करने, शव को अनावश्यक रूप से घर में अथवा किसी सार्वजनिक स्थल पर रखकर विशिष्ट रूप से public order के विरुद्ध घोषित किया जाकर दंडनीय अपराध घोषित किया जावे।

(9) राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 29 (क) के अंतर्गत मानव शव की गरिमा और मानव अधिकारों का संरक्षण करने हेतु पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 71 के तहत नियम बनाए जाकर प्रावधान बनाए जाएं कि पुलिस

अधिकारियों की संतुष्टि के अनुसार किसी व्यक्ति के शव का व्यक्ति के व्यक्तिगत कानून अथवा रूढी/प्रथा के अनुरूप उचित समय में दाह संस्कार नहीं किया जाता है व शव की किसी विधि की पालना या अनुसंधान में आवश्यकता नहीं हो तब पुलिस अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि अधिनियम, 2007 की धारा 29 (क) सपठित (ख), (घ) के तहत शव का दाह संस्कार, स्थानीय निकाय/स्थानीय प्रशासन की सहायता से मृतक व्यक्ति के धर्म/रीति-रिवाज के अनुरूप जहां तक संभव हो पूर्ण कराएं। सम्बन्धित नगरपालिका अधिनियम, नगर विकास न्यास अधिनियम तथा विकास प्राधिकरण सम्बन्धी अधिनियम में शव के दाह संस्कार सम्बन्धी विशिष्ट प्रावधान बनाये जाकर शव का दाह संस्कार नियत स्थान पर, के अलावा अन्य स्थान पर किये जाने पर रोका जावे। शव के दाह संस्कार हेतु आवश्यक रूप से आबादी क्षेत्र से बाहर इस हेतु स्थान निश्चित किये जावें।

(10) राज्य सरकार, शव का किसी आंदोलन/मौताणा या कोई राशि या मांग मनवाने के लिए उपयोग किए जाने को दाण्डिक अपराध घोषित किए जाने हेतु विधि के उचित प्रावधान बनाएं।

राज्य आयोग की उपरोक्त अनुशंसा राज्य सरकार को अग्रिम कार्यवाही करने हेतु जरिए अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर प्रेषित की जाए।

आयोग स्तर पर प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जाती है

(न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया)
अध्यक्ष